उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या–70–ज0श0 प्र0सु0 एवं प्रशि0–01/पाकालि/2022–29–प्र0सु0/2001 **दिनाँक 08.02.2022**

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–87–प्र0सु0–01/पाकालि/2002–20–प्र0से0/2000 दिनांक 25.02.2002 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या–41–प्र0सु0–01/पाकालि/07–29–प्र0सु0/2001 दिनांक 27.02.2007 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या–665–ज0श0 एवं प्र0सु0–01/पाकालि/2017–29–प्र0सु0/2001 दिनांक 30.08.2017 के माध्यम से वितरण संगठन के कार्यकलापों के सुचारू रूप से कार्य सम्पादन/संचालन हेतु विभिन्न स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के मुख्य उत्तरदायित्व, पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व एवं प्रशासकीय उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया गया है।

2. उपरोक्त सन्दर्भित कार्यालय ज्ञापों में वर्णित कार्यों के अतिरिक्त विद्युत चोरी पाये जाने की स्थिति में, निर्धारित समय सीमा 24 घण्टे के उपरान्त विलम्ब से प्राथमिकी दर्ज करने के सम्बन्ध में अधिकारियों/कर्मचारियों के मुख्य उत्तरदायित्व, पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व एवं प्रशासकीय उत्तरदायित्वों का समग्रता में निर्धारण एतद्द्वारा निम्नानुसार किया जाता है:–

क्रम संख्या	एफ0आई0आर0 दर्ज कराये जाने की स्थिति	मुख्य उत्तरदायित्व	पर्यवेक्षणीय उत्तरदायित्व	प्रशासकीय उत्तरदायित्व
1	जिन प्रकरणों में सम्बन्धित विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानों (APTPS) में 24 घण्टे से पहले तहरीर दिये जाने के बावजूद प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) समय से दर्ज नहीं है।	विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानों के प्रभारी अधिकारी	पुलिस उपाधीक्षक (सतर्कता)	अपर पुलिस अधीक्षक (सतर्कता)
2	जिन प्रकरणों में 24 घण्टे के अन्दर तहरीर न देने के कारण 24 घण्टे से अधिक समय के पश्चात प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) दर्ज है। **(अ)** विभागीय रेड टीम द्वारा **(ब)** सतर्कता स्कन्ध की रेड टीम द्वारा **(स)** विभागीय एवं सतर्कता स्कन्ध की संयुक्त रेड टीम द्वारा	रेड टीम के प्रभारी आधिकारिक	**(अ)** उपखण्ड अधिकारी (वितरण) **(ब)** पुलिस उपाधीक्षक (सतर्कता) **(स)** उपखण्ड अधिकारी (वितरण)/पुलिस उपाधीक्षक (सतर्कता) (रेड टीम के प्रभारी अधिकारी के अनुसार)	**(अ)** अधिशासी अभियन्ता (वितरण) **(ब)** अपर पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) **(स)** अधिशासी अभियन्ता (वितरण)/अपर पुलिस अधीक्षक (सतर्कता)

क्रमशः......(2)

3	यदि विद्युत चोरी के किन्ही प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) दर्ज नहीं करायी गयी है। **(अ)** विभागीय रेड टीम द्वारा **(ब)** सतर्कता स्कन्ध की रेड टीम द्वारा **(स)** विभागीय एवं सतर्कता स्कन्ध की संयुक्त रेड टीम द्वारा	रेड टीम के प्रभारी आधिकारिक	**(अ)** उपखण्ड अधिकारी (वितरण) **(ब)** पुलिस उपाधीक्षक (सतर्कता) **(स)** उपखण्ड अधिकारी (वितरण)/पुलिस उपाधीक्षक (सतर्कता) (रेड टीम के प्रभारी अधिकारी के अनुसार)	**(अ)** अधिशासी अभियन्ता (वितरण) **(ब)** अपर पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) **(स)** अधिशासी अभियन्ता (वितरण)/अपर पुलिस अधीक्षक (सतर्कता)

उपरोक्त सभी प्रकरणों में आर0एम0एस0 पोर्टल पर प्रविष्ट किये गये आंकड़ों को ही अन्तिम माना जायेगा तथा इन आंकड़ों की अनिवार्य रूप से 01 सप्ताह के अन्दर आर0एम0एस0 पोर्टल पर प्रविष्टि सुनिश्चित की जायेगी।

3. उक्त उत्तरदायित्वों, जिनका उल्लेख उपरोक्त तालिका में किया गया है, से सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करा दिया जाये एवं उनसे इसकी प्राप्ति स्वीकार कराकर अभिलेखों में रख लिया जाये।

अध्यक्ष
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0

<u>संख्या–70(i)–ज0श0 प्र0सु0 एवं प्रशि0–01/पाकालि/2022, तद्‌दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0 वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं केस्को, कानपुर।
4. समस्त निदेशकगण, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता, स्तर–I/स्तर–II, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय/तृतीय), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में उससे पूर्व के माह के विद्युत चोरी के प्रकरणों में विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थानों (APTPS) में प्रथम सूचना रिपोर्ट(F.I.R.) दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में अनुश्रवण की कार्यवाही कर दोषी कार्मिकों के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारण की कार्यवाही सुनिश्चित कर आख्या वितरण निगम मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
8. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/अधिशासी निदेशक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)/महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा)/(आय–व्ययक)/(निधि–प्रशा0 एवं संप्रे0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ
11. अधिशासी अभियन्ता (वेब), शक्ति भवन लखनऊ को उ0प्र0पा0का0लि0 की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,

(ए0 के0 पुरवार)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)